न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 188/2024 दायर दिनांक–27.11.2024

1. मिथून सबल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद सबल जाति रैगर निवासी नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–वादी

बनाम

1. सुभिता देवी पत्नी जुगलकिशोर जाति मेघवाल निवासी खींवासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री किशोर कुमार जांगिड़

वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत विभाजन

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 24.07.2025

वाद वादी दिनांक 28.03.2025 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव पत्रांकः भू0 अ0/2025/8844 दिनांक 22.07.2025 प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव वकील वादी सुनी गई। वकील वादी की ओर से मुताबिक विभाजन प्रस्ताव निर्णय किये जाने पर सहमत होने पर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2949 रकबा 0.9500 है0 भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैः–

क्र. स.	घोषित खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	मिथुन सबल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद सबल जाति रैगर साकिन देह खातेदार	2949/1	0.45	बारानी 3
2	सुभिता देवी पत्नी जुगलकिशोर जाति मेघवाल साकिन खींवसर खातेदार	2949/2	0.50	आवासीय आबादी

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनु[illegible] संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय [illegible] यदि [illegible]रान् संतुष्ट नही है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। प[illegible] फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जा[illegible] हो। आज दिनांक 24.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:19:32 IST
Reason: SelfAttested

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ

पीठासीन अधिकारी :– सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 188 / 2024

दावा : विभाजन

(मिथुन सबल बनाम सुभिता आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 24.07.2025 निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2949 रकबा 0.9500 है0 भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

क्र. स.	घोषित खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	मिथुन सबल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद सबल जाति रैगर साकिन देह खातेदार	2949 / 1	0.45	बारानी 3
2	सुभिता देवी पत्नी जुगलकिशोर जाति मेघवाल साकिन खींवसर खातेदार	2949 / 2	0.45	आवासीय आबादी

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 24.07.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:19:32 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.)नवलगढ

क्रमांक /भू अ /2025/ 8844 दिनांक 22/7/2025

प्रेषिति : – श्रीमान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)महोदय

नवलगढ

विषय :–उनवानी प्रकरण मिथुन सबल बनाम सुमिता देवी मु.न.188/2024 में विभांजन प्रस्ताव भिजवाने बाबत ।

प्रसंग :– श्रीमान के आदेश क्रमांक राजस्व/2025/93 दिनांक 07.04.2025 की पालना में ।

महोदय

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है माननीय न्यायालय के उनवानी प्रकरण मिथुन सबल बनाम सुमिता देवी मु.न.188/2024 निर्णय दिनांक 28.03.2025 की पालना में ग्राम चारा का बास तहसील नवलगढ का विभांजन प्रस्ताव तैयार कर श्रीमान की सेवामे सादर प्रेषित है ।

संलग्न : – मूल विभांजन प्रस्ताव (दो प्रति)

तहसीलदार(भू.अ.)नवलगढ

तहसीलदार (भू.अ.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:19:32 IST
Reason: SelfAttested

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

मैं महेन्द्रसिंह रतनू.........(नाम) तहसीलदार नवलगढ़..., न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़....... के आदेश कमांक |राजस्व|2025/93 दिनांक 7|5|2025 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक .... समय ....बजे आराजी खसरा नम्बर–...2951.... वाके ग्राम धाराका बास पटवार हल्का परसरामपुरा...... पर श्री ..राजेश कुमार..... नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़......... में विचाराधीन प्रकरण संख्या–....188/2025..... के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक .... दिनांक .... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :–

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1.	मिथुन सबल	राजेन्द्र प्रसाद सबल		रैगर	वादी
2.	सुमित्रा देवी	w/o जुगलकिशोर		मेघवाल	प्रतिवादी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम–18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :–

नजरी नक्शा

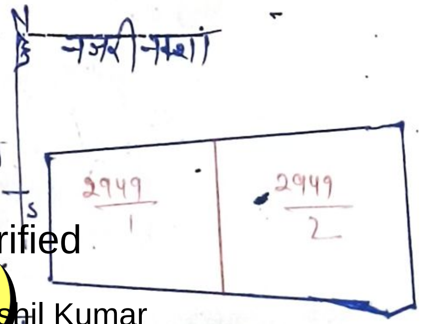

क्र.सं.	कृषक/खातेदार नाम	ख.नं.	रकबा	किस्म
1.	मिथुन सबल पुत्र राजेन्द्रप्रसाद सबल जाति रैगर सा. नवलगढ	2951	0.45	बा 3
2.	सुमित्रा देवी पत्नी जुगलकिशोर जाति मेघवाल सा. खींवसर जाटान	[illegible]	0.50	बारानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:19:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार (भू.अ.)
नवलगढ़

12/05/25
पटवारी परसरामपुरा

भू.अ.नि. परसरामपुरा
13/05/2025

सहायक कलक्टर एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/. प्रतिवादी
1.	मिथुन सबल	राजेन्द्र प्रसाद सबल	रैगर	[signature]	वादी
2.	सुमित्रा देवी पत्नी जुगलकिशोर		मेघवाल	सुमित्रा	प्रतिवादी

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/. प्रतिवादी.

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं..	
1.	हरिसिंह	हरफूल सिंह	49	जाट	7014646030 ग्राम-नवलगढ़	Harsing
	किशोर	कुम्भाराम	47	जाट	8769492615	Kgnpir

इस प्रकार आज दिनांक .... को यह मौका रिपोर्ट .... की गई है।

हस्ताक्षर 12/05/25
पटवारी

हस्ताक्षर 12/05/2025
भू. अ. निरीक्षक

हस्ताक्षर
तहसीलदार (मु.अ.)
नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:19:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 06/05/2025 10:31:28 AM

जिला : झूंझुनू   तहसील : नवलगढ़   भू. अ. नि. क्षेत्र : परसरामपुरा

हल्का : परसरामपुरा   ग्राम : चारां का बास

खसरा संख्या :2949 क्षेत्रफल : 0.9500 Hectare खाता संख्या : 56पुराना खाता संख्या :69

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी 3 [0.4500, 0.80], आवासीय आबादी [0.5000]

1.) मिथुन सबल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद सबल हिस्सा- 9/19 जाति- रैगर सा.नवलगढ खातेदार

2.) सुभितादेवी पत्नि जुगलकिशोर हिस्सा- 10/19 जाति- मेघवाल सा. खीवासर खातेदार

प्रमाणित प्रतिलिपि राजकार्य हेतु जारी की गई 12/05/2025

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

तहसीलदार (भू. अ.) नवलगढ़

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बन्धित जिला/तहसील कार्यालय से संपर्क करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:19:32 IST
Reason: SelfAttested